मध्य प्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

कमांक यूफ-3-68/2014/32 भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2014

प्रति,

1. **संभागीय आयुक्त**
   .....
2. **आयुक्त सह संचालक,**
   नगर तथा ग्राम निवेश
   म0प्र0 भोपाल
3. **कलेक्टर**
   जिला .....
4. **संयुक्त / उप / सहा.संचालक**
   नगर तथा ग्राम निवेश
   कार्यालय.....

विषय :— मध्यप्रदेश नग्रानि अधिनियम 1973 के अन्तर्गत प्रभावशील की गई विकास योजनाओं में ऊँचे भवनों की स्थल समाशोधन समिति की बैठक आयोजित करने बाबत्।

राज्यशासन के यह संज्ञान में आया है कि म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 12(2) के अधीन ऊँचे भवनों के लिये गठित स्थल समाशोधन समिति की बैठकें नियमित अन्तराल में सम्पन्न नही हो रही है। इससे विकास के प्रस्तावों को गति नहीं मिल पाती। अतः प्रति माह की किसी एक तिथि का निर्धारण कर स्थल समाशोधन समिति की बैठकें प्रति माह आयोजित की जाये।

(एस.एन.मिश्रा)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2014

कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश
क्रमांक 1068
दिनांक 19/8/14

कमांक -यूफ-3-68/2014/32 भोपाल, दिनांक
प्रतिलिपि :— निज सचिव, मान.मंत्रीजी नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग म0प्र0शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

557/उ0ग्रा0नि/2014
20/8/2014

(वर्षा नावलेकर)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग

IT officer
Act Rull

सभी जिला कार्यालयों को उक्त कार्य - web site पर की Bhuvan's क्रियान्वयन
24/20/8/2014